IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन

Varsha Tiwari, Research Scholor , Department of Education, Oriental University, Indore[1]

Dr. Rochna Shukla, Assistant Professor , Department of Education, Oriental University, Indore[2]

शोधसार

शिक्षा मानव में तृतीय नेत्र को जन्म देने में सक्षम है। जिससे जगत का प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को सुगमता से कर सकता है। ऐसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बच्चों में आदतीकरण का विकास करना पड़ता है, जैसे नोटस् बनाना, शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य, समय बजट, पुनः अध्ययन आदि इससे किया गया अध्ययन दृढ़ और चिर कालिक होता है। वर्तमान शिक्षा और शिक्षार्थी सोसल मीडिया के अधिक सम्पर्क में आने के कारण से शिक्षा पर कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस तथ्य को ज्ञात करने के लिए इस शोध में **आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर संवेगात्मक बुद्धि के स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करना निश्चित किया गया है। जिसमें धार जिले एंव इंदौर जिले के** 150 अनुसूचित जाति 150 अनुसूचित जनजाति एवं 150 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं पर सर्वेक्षणात्मक अध्ययन किया गया।

इसमें पाया कि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया के हस्तक्षेप में सार्थकता पायी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि सोशल मीडिया का प्रयोग अध्ययन हेतु किया जाए तो अध्ययन आदतें भी विशिष्ट होती जाती है। कतिपय अन्य बिन्दुओं के साथ सविस्तार वर्णन इस शोध में किया गया है।

प्रस्तावना

सोशल मीडिया का उदय 21 वीं सदी में एक प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक घटना के रूप में हुआ है। यह न केवल संचार और सूचना के प्रसार का माध्यम बन गया है, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से युवा विद्यार्थियों के बीच, सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। जिसमें आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की बात करें तो यह एक संवेदनशील समूह है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से कई चुनौतियों का सामना करता है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया का प्रभाव एक विचारणीय विषय बन गया है, क्योंकि यह वर्ग अक्सर शैक्षिक संसाधनों और समर्थन में असमानता का सामना करता है।

आरक्षित वर्ग- एक परिचय

भारत में आरक्षित वर्ग का संदर्भ उन सामाजिक समूहों से है जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े माने गए हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल है।

भारत में आरक्षण का उदय

आरक्षण की अवधारणा का बीजारोपण ब्रिटिश भारत में हुआ था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में भारत में जाति आधारित असमानता और भेदभाव बहुत अधिक प्रचलित होना प्रारंभ हो गया। इस असमानता को दूर करने के लिए कुछ सामाजिक सुधारकों और ब्रिटिश अधिकारियों ने आरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया। जिसको बिन्दुबार देखा जा सकता है-

1 . विलियम हंटर और जयशंकर के विचार (1882)- आरक्षण की दिशा में पहला प्रयास 1882 में किया गया था, जब ब्रिटिश अधिकारी विलियम हंटर और भारतीय सुधारक जयशंकर ने पिछडे वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव रखा। इस प्रयास का उद्देश्य समाज के निचले वर्गों को मुख्यधारा में लाना था।

2. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और पुणे का निर्णय (1902)- 1902 में बडौदा के महाराजा सायाजीराव गायकवाड ने अपने राज्य में गैर-ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की। यह कदम भारतीय इतिहास में आरक्षण की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जाता है।

3. साइमन कमीशन (1927) और पूना पैक्ट (1982)- 1927 में, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई थी। इसके बाद 1932 में, महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें दलिती (तत्कालीन अछूत वर्ग) के लिए विशेष प्रतिनिधित्व और आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस समझौते ने भविष्य में भारतीय संविधान में आरक्षण नीति के समावेश का मार्ग प्रशस्त किया।

4. भारतीय संविधान और आरक्षण - भारत की स्वतंत्रता के बाद, जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो आरक्षण नीति को संविधान में शामिल करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे ने आरक्षण को संविधान में एक आवश्यक प्रावधान के रूप में शामिल किया।

5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण - संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ कंवल धर्म, जाति, लिंग, जातीयता या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इन अनुच्छेदों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सविधान में 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किया गया था।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण - 1990 में, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। यह कदम भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड था और इसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। हालांकि, यह कदम सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझा गया।

7. मंडल आयोग और आरक्षण- मंडल आयोग, जिसे 1979 में भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था. का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके लिए आरक्षण की सिफारिश करना था। बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत की जनसंख्या के 52 प्रतिशत हिस्से को OBC के रूप में चिन्हित किया गया और उनके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई। 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस सिफारिश को लागू किया, जिससे देशभर में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, लेकिन अंततः इसे लागू कर दिया गया।

8. आर्थिक आधार पर आरक्षण - 2017 में भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। यह आरक्षण उन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस फैसले की भी कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसे संवैधानिकता की कसौटी पर खरा पाया गया है।

आरक्षण नीति का उद्देश्य इन वर्गों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करना है. जिससे वे समाज में मुख्यधारा का हिस्सा बन सकें। हालांकि, इन वर्गों के विद्यार्थियों को अभी भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पडता है, जिसमें शैक्षिक संसाधनों की कमी, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अस्थिरता शामिल हैं। इन चुनौतियों के बीच, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो इन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और ज्ञान का स्रोत बन सकता है।

सोशल मीडिया का महत्व और उपयोग-

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और लिंक्डइन्, ने वैश्विक संचार और सूचना के आदान-प्रदान में क्रांति ला दी है। आज दुनिया भर में अरबों लोग इन प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहे हैं. और यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिसमें मनोरंजन, समाचार प्राप्ति, सामाजिक संपर्क, और शिक्षा शामिल है। सोशल मीडिया ने शिक्षा के क्षेत्र में न केवल शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाया है, बल्कि छात्रों के लिए सीखने के नए तरीके भी प्रस्तुत्त किए है।

अध्ययन की आदतें, परिभाषा और महत्व

अध्ययन की आदतें उन तरीकों, व्यवहारों, और रणनीतियों को स्थापित करती है जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में अपनाते हैं। इसमें अध्ययन का समय, सामग्री की समीक्षा, नोट्स बनाना, ध्यान केंद्रित करना, और परीक्षा की तैयारी आदि शामिल होती है। अध्ययन की आदतें किसी भी विद्यार्थी की शैक्षिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे उनकी ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अध्ययन की अच्छी आदते न केवल परीक्षा में सफलता दिलाती है, बल्कि विद्यार्थियों को लंबे समय तक जानकारी को याद रखने और उसका सही उपयोग करने में भी मदद करती है।

सोशल मीडिया का अध्ययन आदतों पर प्रभाव-

सोशल मीडिया ने विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया है। यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करते है।

1. सकारात्मक प्रभाव-

1. शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शैक्षिक वीडियो, लेख, पॉडकास्ट और अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध है, जो विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाते है। यूट्यूब पर विभिन्न विषयों पर ट्यूटोरियल

वीडियो, व्हाट्सएप पर शैक्षिक सुप्पा, और लिंक्डइन पर प्रोफेशनल नेटवर्किंग के अवसर इन विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता प्रदान करते हैं।

2. ऑनलाइन शैक्षिक समुदायों का निर्माण- सोशल मीडिया पर विभिन्न शैक्षिक समूह और समुदाय बनाए गए है, जहां विद्यार्थी एक-दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। इन समूहों में, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी भी शामिल होते हैं, जिन्हें अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने और सहकर्मी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

3. सामाजिक जगऊकता और प्रेरणा- सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक कहानियों और पोस्ट्स के माध्यम से, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा प्राप्त होती है। वे उन व्यक्तियों की कहानियों से प्रेरित होते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में सफलता हासिल की है।

4. सहयोग और संवाद- सोशल मीडिया ने विद्यार्थियों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा दिया है। विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स और फोरम्स पर विद्यार्थी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने विचार साझा कर सकते है. और सहपाठियों, शिक्षकों, और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह सहयोग न केवल शैक्षिक समझ को बढ़ावा देता है बल्कि विद्यार्थियों को नई सीखने की तकनीकों से भी परिचित कराता है।

5. शैक्षिक ऐप्स और टूल्स का उपयोग सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ, कई शैक्षिक ऐप्पा और टूला भी विकसित हुए हैं जो छात्रों की अध्ययन आदतों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ऐप्पा समय प्रबंधन, नोट्स बनाने, और रिविजन के लिए सहायक होते हैं। ये टूला विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित और कारगर बनाने में मदद करते

6. साक्षरता और जागरूकता में वृद्धि- सोशल मीडिया ने आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के बीच डिजिटल साक्षरता और शैक्षिक जागरूकता को भी बढ़ाचा दिया है। वे अब अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है और शैक्षिक अवसरों और सरकारी नीतियों के बारे में अधिक जागरूक है।

2. नकारात्मक प्रभाव-

1. ध्यान में कमी- सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कारण, कई विद्यार्थी अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न गतिविधियों और अधिसूचनाओं का निरंतर प्रवाह विद्यार्थियों को बार-बार ध्यान भटकाने का कारण बनता है, जिससे उनकी अध्ययन की गुणवत्ता और दक्षता प्रभावित होती है।

2. समय की बर्बादी- सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना एक प्रमुख समस्या है, जो विद्यार्थियों की अध्ययन की आदतों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया की आकर्षक विशेषताएं, जैसे वीडियो, गेम्मा, और अनगिनत पोस्ट्स, विद्यार्थियों का कीमती समय चुरा सकती है. जिससे उनके अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता।

3. मानसिक तनाव और चिंता- सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने और दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। यह तनाव और चिंता उनकी प्रशैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते है, जिससे उनकी अध्ययन की आदतों पर भी बुरा असर पड़ता है।

4. गलत जानकारी और अफवाहें- सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और अफवाहों का प्रसार भी एक चिंता का विषय है। विद्यार्थियों को अक्सर ऐसी जानकारियों से गुमराह किया जा सकता है जो उनकी शिक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए, उन्हें सटीक और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए सावधान रहना चाहिए।

शोध का उद्देश्य-

1. आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना-

1. आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आयतों पर सोशल मीडिया से कोई सार्थक अंतर नाही है।

शोष परिसीमन-

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य क्षेत्र की दृष्टि से मध्यप्रदेश के धार व इन्दौर जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तक ही सीमित है। शोध में असंभाव्य प्रतिदर्श चयन विधि के अन्तर्गत सुविधा चयन विधि से 150 अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को 150 अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को एवं 150 अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को लिया गया है। जो कि छात्र और छात्राओं में समान रूप से वर्गीकृत है। अध्ययन आदतों में मात्र छः अध्ययन आदतों को आधार मानकर सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है।

शोधोपकरण एवं फलांकन-

उद्देश्य के अनुरूप शोधोपकरण की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं मिला, जिसके लिए शोध निर्देशिका के परामर्श पर उपकरण को तैयार कर उसकी वैद्यता विश्वसनीयता का निरूपण कर उसे प्रशासित किया गया। प्रदत्तों के संकलन के लिए पूर्वोक्त स्वनिर्मित्त मापनी की सहायता से किया गया है। जिस मापनी में 34 आइटमों को तीन बिन्दुओं के आधार से प्रदत्त संकलनार्थ रखा गया है। जिसके आधार से निम्नतम अंक 34 एवं उच्चतम अंक 102 तथा 34 से 102 के बीच के प्राप्तांक मध्य के रूप में फलांकन किया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं की अध्ययन आवतों पर सोशल मीडिया के प्राप्तांकों का तुलनात्मक प्रतिखतीय विश्लेषण।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया के प्राप्तांकों को ज्ञात करने के लिए पूर्वोक्त मापनी का प्रयोग किया गया तथा प्रतिशतीय निरूपित तालिका क्र. 1 में किया गया है।

तालिका क्र. 1

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं की अध्ययन आदतों पर सोशल मीखिया के प्राप्तांकों का प्रतिशतीय विश्लेषण।

चर	छात्रों का अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया का प्रतिशत	छात्राओं का अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया का प्रतिशत
अनुसूचित जाति	62.72	64.67
अनुसूचित जनजाति	59.01	61.28
पिछड़ा वर्ग	74.91	70.56

तालिका क्र. 1 को देखने से ज्ञात होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दिया जिसमें छात्रों का 74.91 और छात्राओं का 70.56 प्रतिशत स्वीकार किया जो कि सम्पूर्ण समूह के प्राप्तांकों में सबसे अधिक है। पिछड़ा वर्ग अपने नाम में पिछड़ापन लिए हुए है, लेकिन इस वर्ग के विद्यार्थी आधुनिक तकनीकी से कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं। अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को क्रमशः 62.72 व 64.67 प्रतिशत के रूप में स्वीकार किया है, जो कि मध्यम प्राप्तांकों को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के छात्र और छात्राओं की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया का प्रभाव को 59.01 व 61.28 प्रतिशत के रूप में स्वीकार किया, जो कि छात्र और छात्राओं के समूह में सबसे निम्न प्रतिशत को दर्शता है। इसी विश्लेषण को और अधिक स्पष्ट आरेख (1) में प्रदर्शित किया गया है।

आरेख क्र. 1

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया के प्राप्तांकों का प्रतिशत विवेचन

आरेख (1) को देखने से ज्ञात होता है कि इसमें इंदौर और धार जिले के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के सबसे कम प्रतिशत एवं उसके बाद अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के प्रतिशत अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए स्वीकार किए गए हैं। औसत की दृष्टि से देखा जाए तो अनुसूचित जाति के छात्रों एवं उसी वर्ग की छात्राओं ने अंक प्राप्त करके स्वीकार किया है कि अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया के प्रभाव पड़ता है। उच्चतम प्रतिशत जो आया है वह है अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं एवं छात्रों का इसमें भी छात्राओं ने सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करके ये सिद्ध किया है कि अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया के प्रभाव पड़ता है। वे भी सोशल मीडिया को किसी न किसी रूप में अध्ययन से सम्बद्ध करते ही रहते है। जैसे नोटस् बनाना, भौतिक स्थिति, पढ़ने के लिए योग्य परिस्थितियाँ, टाइम टेबिल का निर्माण आदि जो कि विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायक होती हैं, उन आदतों पर सोशल मीडिया जो व्हाटस् ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इंटरनेट आदि के रूप में प्रभावित करती है।

परिकल्पना का सत्यापन आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया से कोई सार्थक अंतर नही है।

अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया से प्राप्तांकों को लेकर उनकी सार्थकता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तीनों के मध्यमान मानक विचलन ज्ञात करके एफ परीक्षण को निकाला गया है जो कि इस प्रकार है-

तालिका क्र. 2 आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया का सांख्यिकीय विवेचन

सारांश				
उपचारात्मक समूह				
	अनुसूचित जाति	**अनुसूचित जनजाति**	**अनुसूचित जाति**	**कुल**
संख्या	150	150	150	450
योग	9805	9202	11098	30105
मध्यमान	65.3667	61.3467	73.9867	66.9
ΣX2	647797	572334	836318	2056449
मानक विचलन	6.7936	7.2454	10.1048	9.7204

तालिका क्र. 3 **प्रसरण विश्लेषण**

चर- आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया का प्रसरण विवेचन

प्रसरण का स्रोत	**वर्ग योग (SS)**	**मुक्तांश (df)**	**माध्य वर्ग योग (MS)**	**F-अनुपात**	**सार्थकता 0.05 स्तर**
बाह्य समूह	12511.72	2	6255.86	F=93.484	सार्थक
अन्तः समूह	29912.78	447	66.919		
कुल	42424.5	449			

तालिका क्र. 2 को देखने से ज्ञात होता है कि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया के प्रभाव की सार्थकता को ज्ञात करने के लिए एफ परीक्षण का प्रयोग किया गया।

जिसमें प्रस्तुत किए गये परिणाम से स्पष्ट है कि प्राप्त F-अनुपात का मान 91.484 सार्थकता स्तर 0.05 पर सार्थक है। अतः सम्बन्धित शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया से सार्थकता पायी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि संवेगात्मक बुद्धि यदि अधिक होती है तो अध्ययन आदतें भी विशिष्ट होती जाती है, एवं संवेगात्मक बुद्धि कम होती है तो अध्ययन आदतों पर प्रभाव भी दिखाई देता है।

आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर सोशल मीडिया से अंतर की सार्थकता को ज्ञात करने के बाद सामूहिक रूप प्रसरण के द्वारा सार्थक अंतर प्राप्त होने के बाद तीनों समूहों के मध्य अन्तर जानने की विशेष जिज्ञासा से उक्त तीनों समूहों में टी परीक्षण लगाकर तीनों समूहों के मध्य के अंतर को जानने के लिए तालिका क्र 2 में मध्यमान मानक विचलन का प्रयोग कर टी परीक्षण निकालकर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

शैक्षिक निहितार्थ-

इस विवेचन के आधार पर कुछ इस प्रकार के निहितार्थ प्रतिपादित किए जा सकते हैं जैसे कि-आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जो समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करते हैं, सोशल मीडिया का प्रभाव और भी अधिक जटिल हो सकता है। इन विद्यार्थियों के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पारंपरिक संसाधनों की कमी हो सकती है, और सोशल मीडिया उन्हें इन संसाधनों की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है।

1. शैक्षिक अवसरों की सुलभता- आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, सोशल मीडिया शैक्षिक अवसरों तक पहुंच बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। उदाहरण के लिए, वे ऑनलाइन कोर्सेज, स्कॉलरशिप्स, और शैक्षिक प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें अपनी शैक्षिक यात्रा में आगे बढने में मदद कर सकती है।

2. सामाजिक समर्थन और नेटवर्किंग- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को समान पृष्ठभूमि के अन्य विद्यार्थियों और पेशेवरों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। यह नेटवर्किंग उन्हें सामाजिक और शैक्षिक समर्थन प्रदान करता है, जो उनके शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन में प्रगति करने में मदद कर सकता है।

3. आत्म-विश्वास में वृद्धि- सोशल मीडिया पर शैक्षिक सामग्री की सुलभता और विभिन्न शैक्षिक समुदायों के साथ जुड़ने से आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का आत्म-विश्वास भी बढ़ता है। वे महसूस करते हैं कि वे भी शैक्षिक क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं।

4. आर्थिक बाधाओं को दूर करना- आरक्षित वर्ग के कई विद्यार्थी आर्थिक चुनौतियों का सामना करते है, जो उनकी शिक्षा में बाधा बन सकती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, वे कम लागत या निःशुल्क शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक बाधाएं कम हो सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर के लेखन और भाषण महाराष्ट्र सरकार, शिक्षा विभाग।

2. भारत का संविधान विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

3. मंडल आयोग की रिपोर्ट (1980), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

4. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992), भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय।

5. आर्थिक आरक्षण अधिनियम (2016), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

6. सिंह, अरूण कुमार (2009). शिक्षा मनोविज्ञान, भारती भवन, पीएच.डी. पटना.

7. हरलाक, ई.वी. (1979). डेवलपमेन्टल साइकोलाजी, टी.एम. एवं पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

8. आई.ए., गेटस एवं जरसील (1958). शिक्षा मनोविज्ञान, न्यूयार्क.

9. कपिल, एच.के. (2009), सांख्यिकीय के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.

10. पाठक, पी.डी. (2009). शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.

11. मंगल, एस.के. (2010). शिक्षा मनोविज्ञान पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.

12. मटनागर, सुरेश (2010). शिक्षा मनोविज्ञान, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ.